निर्णय बइजलास (लोक अदालत/न्याय आपके द्वार) श्री के0आर0 चौहान (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला–राजसमन्द
कोर्ट कैम्प–लसानी

प्र0सं0 190/2017 प्रा0पत्र   निर्णय दिनांक :– 25.06.2018

अनवान

1. श्री रामगोपाल पिता मांगी लाल जाति नंगारची निवासी लसानी तहसील देवगढ़

––––––प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार साहब देवगढ़ जिला–राजसमन्द

–––––विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. श्री राजेश समदानी वकील प्रार्थी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ में प्रार्थी की गैर खातेदारी भूमि खसरा नं0 2360/1470 रकबा 5 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि का प्रार्थी गैर खातेदार होकर काबिज कास्त है परन्तु वर्तमान राजस्व रेकार्ड में जो प्रार्थी का नाम रामगोपाल पिता किशनलाल नंगारची दर्ज है वह गलत है। प्रार्थी के पिता का नाम मांगी लाल है परन्तु राजस्व रिकार्ड में किशन लाल दर्ज है जिसकी जानकारी प्रार्थी को आज दिन पहले नही थी। प्रार्थी को उक्त जानकारी भूमि के दस्तावेजो की जरूरत पडी तो प्रार्थी ने तहसील देवगढ में दिनांक 27.06.2017 को कम्प्युटर से ऑनलाईन नकल प्राप्त की तो हुई। प्रार्थी के पिता के नाम में त्रुटी रह गयी है। रामगोपाल पिता मांगी लाल के स्थान पर रामगोपाल पिता किशन लाल दर्ज है जो त्रुटीवश दर्ज है। प्रार्थी का वास्तविक एवं सभी राजकीय एवं अराजकीय दस्तावेजो में भी नाम रामगोपाल पिता मांगी लाल ही है। इस प्रकार गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी को भारी दुविधा का सामना करना पड रहा है। अतः नाम सही करवाने के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में विपक्षी की और से पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया। जवाब में पैरोकार सरकार नें प्रार्थी के पिता का नाम किशन लाल की बजाय मांगी लाल दर्ज करने में कोई आपत्ति व्यक्त नही की। वकील प्रार्थी ने सबूत में प्रार्थी का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर कार्ड की प्रति एवं आधार कार्ड की प्रति पेश की। वोटर कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मांगी लाल अंकित है साथ ही प्रार्थी के आधार कार्ड पेश किया उसमें भी प्रार्थी के पिता का नाम मांगी लाल दर्ज है।

वकील प्रार्थी ने तर्क दिया की ग्राम लसानी पटवार क्षेत्र लसानी की भूमि आराजी नं0 2360/1470 रकबा 5.00 बीघा भूमि जो गैरखातेदारी दर्ज है उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकन करते

सहायक कलेक्टर

समय प्रार्थी के पिता का नाम गलती से किशन लाल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम मांगी लाल है। मैने साक्ष्य में प्रार्थी के वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड पेश किये है। अतः उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम किशनलाल की बजाय मांगीलाल दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावें।

हमनें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जवाब विपक्षी, वकील प्रार्थी द्वारा पेश साक्ष्य, नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया। सम्पूर्ण तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता का नाम मांगीलाल है लेकिन त्रुटिवश प्रार्थी के पिता का नाम किशन लाल दर्ज हो गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम लसानी पटवार क्षेंत्र लसानी की भूमि 2360 / 1470 रकबा 5 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 5 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम किशनलाल दर्ज है उसकी बजाय मांगीलाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को खुले न्यायालय लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द